न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/36/2026 दायर दिनांकः–09.04.2026 रजि0 न0 2026/64

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री कैलाश चन्द यादव निवासी विवेकानन्द नगर, सैक्टर नं० 4, अलवर जिला अलवर (राज०) 301001	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 28.04.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 05.02.2026 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से असंतुष्ट होकर उचित सूचना दिलवाये जाने हेतु अपील पेश की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 21.04.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील पत्रांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2026/466 दिनांक 24.04.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी के प्रथम अपील दिनांक 24.03.2026 में वर्णित सूचना आवेदन दिनांकः 05.02.2026 जिसे राज्य सरकार के निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये आवेदन सं. 293495620843136 दिनांक 10.02.2026 ऑनलाइन दर्ज किया गया है, के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में ऑनलाइन पत्र सं. 2097854585 दिनांक 25.03.2026 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को जरिये तहसीलदार अलवर के माध्यम से सूचना भिजवाई जा चुकी है, तामिल प्रति संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई सूचना/कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना के क्रम में प्रस्तुत प्रथम अपील के अनुसरण में लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2026/466 दिनांक 24.04.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय कर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा साथ ही प्रत्यर्थी को भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रथम आवेदनों का निस्तारण निश्चित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 28.04.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर